00

मान्यता–सह–सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र

(वर्तमान में निरन्तर संचालित	गुरूकलों एवं संस्कृत	विद्यालयों हेतु)	
भाग—अ 1. संस्था / विद्यालय क (क) सामान्य 1. संस्था का नाम	ग विवरणः :—		
		•••••	
 प्रस्तावित कक्षायें (जिस स्तर के लिए मान्यता विद्यालय का स्थान (ख) विवरण प्लॉट नं0. सैक्टर/मौहल्ला शहर/कस्बा/गॉव शहर/कस्बा/गॉव नगरपालिका/बैठक/ CD ब्लॉक विद्यान समा क्षेत्र जिला दूरभाष एवं एस.टी.डी 	आवेदन करना है) :	ب ة []	ामीण
 पूर्रमाप ९५ ९स.टा.आ फैक्स नं0. 	:4/1⊌ : :		
10. ई—मेल पता	:		
(क) व्यक्तियों का समूह, जो कि भारतीय सनि	मेति अधिनियम 1882(1	982 केश) के तह	त हो या संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन
(ख) पंजीकरण विवरणः–			
 पंजीकरण संख्या एवं पंजीयन अधिकरण (व प्रबन्ध समिति के सद प्रबन्ध समिति को सद प्रबन्ध समिति की सू संस्था के उप–नियम (ग) गुरूकुल/संस्कृत वि 	ऑथरिटी) स्यों की संख्या वी संलग्न है? ों की प्रति संलग्न है?	हां	नहीं नहीं
1छात्रों हेतु	🗀 छात्राओं हेतु	िसहशिक्षा	

- 2.) विद्यार्थियों की संख्या (कक्षावार विवरण) 🔲 अनुलग्नक के अनुसार
- 3.) कक्षा छठी से आठवीं

पूर्व-मध्यमा भाग-1 व भाग-2 उत्तर मध्यमा भाग-1 व भाग-2.....

Part-B भाग-ब

(क) क्षेत्र विवरणः

i,

भूमि विवरण

 (1) ग्रामीण / शहरी क्षेत्र—2000 वर्ग मीटर :- एकड़ कनाल मरलावर्ग मी (2) शहरी / ग्रामीण क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर :- एकड़ कनाल मरलावर्ग मी (3) खेल का मैदान उपलब्ध है? :- हॉ नहीं				
(ख) भूस्वामी विवरणः				
(1)भूस्वामी का नाम एवं पता : 				
(2) भूस्वामित्व के कागजात संलग्न हैं? : हॉ नहीं				
(ग) पट्टादाता का विवरणः				
(1) नाम : (2) पता :				
(3) पट्टादाता जमीन का मालिक है या जमीन पट्टे पर देने का अधिकार रखता है:—				
(घ) पट्टेदार का विवरण:				
(1) नाम (अध्यक्ष या सचिव या प्रबन्धक) :– (2) विद्यालय चलाने वाली समिति द्वारा अधिकृत किये गये हैं? :– हॉनहींनहीं				
 (3) पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है? : हॉनहींनहीं (4) पट्टानामा की प्रति संलग्न है? : हॉनहींनहीं				
नोटः— यदि भूमि पट्टे पर ली गई है तो पट्टा 20 साल से कम नहीं होना चाहिये।				
(ड) भूमि की स्थिति				

(1) खेवट/खसरा नं0/किला नं0/प्लॉट नं0 : (2) यदि भूमि टुकड़ों में है तो :- कितने टुकड़ों मेंटुकड़ों की संख्या (3) यदि भूमि टुकड़ों में है तो भूमि का :- हॉ नहीं
3. भवन विवरणः
निम्न लिखित भवन आवश्यक हैं:
(1) गुरूकुल संस्थायें अनिवार्य रूप से आवासीय होती हैं अतः समी छात्रों के लिये उपयुक्त छात्रावास होना आवश्यक है, छात्रावास उपलब्ध है? :—
 (2) अध्यापन कमरों की संख्या :— (3) उपरोक्त के अतिरिक्त 1 प्राचार्य कार्यालय, 1 कार्यालय, 1 पुस्तकालय एवं 1 अतिथि कक्ष होना आवश्यक है, क्या उपलब्ध हैं? (4) भवन यदि पुराने बने हुय हैं तो उन्हीं को स्वीकार कर लिया जायेगा तथा यदि नये बनाने हैं तो हरियाणा शिक्षा के 2003 की नियमावली के अनुसार बनाने होंगे। (5) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की निरीक्षण समिति के द्वारा भवनों का निरीक्षण किया जायेगा।
6 प्रमाण–पत्रः
(1) भूस्वामित्व के प्रमाण हेतु नकल जमाबन्दी एवं सिजरा आदि उपयुक्त अधिकारियों(ग्राम पंचायम∕नगर पालिका)से प्रमाणित कराकर संलग्न है? हांनहींनहीं
7 स्टॉफ स्टेटमेंटः
स्टाफ स्टेटमेंट संलग्न है? :– हांनहींनहीं
स्टाफ की न्यूनतम योग्यता
(क) प्रधानाचार्य :- व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदाचार्य, दर्शनाचार्य अथवा एम०ए०। (ख) प्रवक्ता :- विषयानुसार आचार्य अथवा एम.ए. एम.एससी.। (ग) मास्टर :- विषयानुसार बी.ए. बी.एस-सी., शास्त्री,। (घ) अध्यापक :- स्नातक। (ड) लिपिक/लैब सहायक/चतुर्थ श्रेणी :- 10+2

8 शुल्क विवरण :
शुल्क विवरण संलग्न है? :–
विद्यालय अभिलेख
9 हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम–28 के आधार पर संलग्न क के अनुसार
अभिलेख रखे गये हैं? :– हांनहींनहीं
१० शपथ पत्र
शपथ पत्र संलग्न है? : हॉ नहीं
11 वित्तीय विवरण
गत वर्ष का वित्तीय विवरण संलग्न है? :– हॉ नहीं नहीं

बैंक जमा राशि (पासबुक एवं विवरणी) की सत्यापित प्रति।

12 फॉर्म एवं प्रक्रिया शुल्क

j.

(क) अस्थाई मान्यता का शुल्क जमा है या नहीं

(ख) अस्थाई सम्बद्धता का शुल्क करवाया है या नहीं

,

शपथ-पत्र				
मैं निवासी				
पूर्ण गम्भीरता से प्रतिज्ञा करता हूँ एवं यह घोषणा करता				
हॅ कि :—				
1. हमारे गुरूकुल/विद्यालय के अध्यापन–कक्ष के भवन, खुले, सुरक्षित एवं हवादार				
हैं।				
2. गुरूकुल/विद्यालय की संचालन समिति				
के अन्तर्गत पंजीकृत 🕏 ।				
3. यदि संस्था द्वारा विद्यार्थियों से फीस ली जाती है तो उस अवस्था में				
संस्था/विद्यालय मान्यता लेते समय घोषित/निर्धारित की गई फीस ही विद्यार्थियों				
से वसूलेगा और वही फीस Details अपने विद्यालय की सूचना पट्ट पर दर्शाएगा।				
यदि फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की जाती है तो प्रतिवर्ष 1 जनवरी से				
पहले इसकी सूचना दे और विद्यार्थियों को इसकी रसीद भी दें।				
4. गुरूकुल/विद्यालय भवन के किसी भी भाग को व्यावसायिक या रहने के लिए रात				
या दिन में उपयोग में नहीं लाया जायेगा।				
5. गुरूकल/विद्यालय में सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान				
नियमित रूप से किया जाता है तथा वेतन रजिस्टर में अभिलेख सुरक्षित रखा				
जाता है।				
6. किसी भी अध्यापक को गुरूकुल पद्धति परम्परा को छोड़कर अन्य किसी धार्मिक				
अनुष्ठान में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता।				
7. गुरूकुल के विरूद्ध सम्पति अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत लम्बित नहीं है।				
8. गुरूकुल/विद्यालय के समी अभिलेख आवेदन पत्र के प्रमाणन सूची के बिन्दु-16				
के अनुसार रखे जाते है।				
9. समी अध्यापक बिन्दु नं-7 के अनुसार न्यूनतम योग्यता रखते है तथा सम्यक प्रकार				
से उनकी नियुक्ति की जाती है एवं प्रबन्धन तथा अध्यापकों के साथ समझौता				
किया जाता है।				
10. सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु आने पर गुरूकुल/विद्यालय में तत्काल				
उनका सहयोग किया जायेगा।				
11. गुरूकुल/विद्यालय समय-समय पर अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट भेजेगा।				
12. गुरूकुल / विद्यालय की भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त है।				

13. प्रबन्धन द्वारा सभी कागजात तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर जमा कराये गये हैं, यदि किसी स्तर पर कोई भी पत्रक गलत और अवैधानिक पाया जाता है तो उसके लिये प्रबन्धन जिम्मेदार होगा। सत्यापनः– प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य एवं सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थानः– दिनांकः–

शपथकर्ता

- सर्वप्रथम पूर्व मध्यमा भाग–1 व 2 तथा उतर मध्यमा भाग–1 व 2 के लिए अस्थाई मान्यता शुल्क 20,000रू बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने का प्रमाण पत्र।
- 2. पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा अस्थाई सम्बद्धता हेतु 8000 रू का प्रमाण पत्र।
- 3. संस्था का पंजीकरण/:- व्यक्तिगत या सामूहिक या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860(1860 न्यास/(संविधान/नियमोपनियम/:- का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम–1882(1882 का 2) प्रस्ताव) सत्यापित प्रति :- अथवा भारत के किसी भी प्रान्त में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति अधिनियम 1956 के (1 of 1956) तहत।
- सत्यापित प्रति :- संस्था/विद्यालय खोलने हेतु सरकार/विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी संस्था द्वारा प्रस्तावित मान्यता अनूमति।
- संस्था के लैटर-पैड पर :- कक्षानुसार प्रस्तावित छात्र संख्या।
- संस्था के लैटर-पैड पर :- कक्षानुसार शुल्क विवरण।
- 7. संस्था के लैटर-पैड पर :- स्टाफ स्टेटमेंट एवं वेतन स्टेटमेंट एवं विमागीय कर्मियों का समझोता (स्वीकृति) एवं नियुक्ति पत्र (जिसमें कम से कम वेतन D.C. रेट से कम न हो।
- मूल शपथ-पत्र :- नमुनानुसार।
- भूमि पट्टानामा/स्वामित्व न्यास या संगठन :--समिति के नाम कम से कम 20 वर्षीय अवधि।
- 10. वित्तीय स्टेटमेंट :- पिछले वित वर्ष की बैलेंश शीट(सी0ए0 से प्रमाणित)।
- 11. भूमि का स्वामित्त्वः—उपमण्डल न्यायाधिकारी या पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा जारी(अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित) यदि भूमि एक से अधिक टुकड़ों में है तो तहसीलदार द्वारा सत्यापित जमाबन्दी व सिजरा इत्यादि पत्रक।
- 12. भवन की प्रमाणित सुरक्षाः- P.W.D. या नगर परिषद या/अधिकृत अभियन्ता/ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति
- 13. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र :-- राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था / ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति।
- 14. स्वच्छता प्रपत्रः—मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रपत्र।
- 15. संस्था में जितने भी कमरे उपलब्ध है, उनका प्रमाण पत्र।

16. अभिलेख का रखरखाव :- हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम-28 के अनुसार अधालिखित पंजिकायें :- 1. स्टेज अनुसार प्रवेश एवं निष्क्रमण पंजिका। 2. दैनिक उपस्थिति पंजिका। 3. अध्यापकों की उपस्थिति परिचय पंजिका। 2. दैनिक उपस्थिति पंजिका। 3. अध्यापकों की उपस्थिति परिचय पंजिका। 4. छात्रवृत्ति पंजिका। 5. वेतन पंजिका 6. समय-सारिणी समायोजन पंजिका। 7. आगन्तुक पंजिका। 8. आदेश पंजिका। 9. छात्रावास पंजिका। 10 पुस्तकालय का ,

सूची-पत्र एवं पुस्तक वितरण पंजिका। 11 परीक्षा पंजिका। 12 स्टॉफ पंजिका।

13. डायरी एवं डिस्पैच पंजिका। 14. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित अभिलेख।

17. अन्य विवरण ——————

Certificate of Land Ownership as per Revenue Record

.....(address of school/Institution). The said school/Institution is situated on the forementioned land which is in contiguous(Single piece of land). This is based on the revenue record.

> Signature/Stamp Tehsildar/Circle Revenue Officer

If the land is having more than one piece and situated at different places, then mention the distance from the main plot on which school/ Institution building is situated.

I		Undertak resident of	ting do hereby affin	rm and
declare as unc		ondone or		
I	am	the		of
S	chool		run	
by		Society.		

- That the school/Institution shall by provisions of Right of Children to free and compulsory Education Act. 2009 and the Haryana State Right of Children to free and compulsory Education Rules 2011.
- That for the children of School/Institution shall be reimbursed as per sub section(2) and section 12. To receive such reimbursements school school/Institution shall provide a separate bar account.
- The School/Institution shall not collect any capitation fee and subject the child or his/her by parents or guardians to any screening procedure.
- 4. That the school/Institution shall not deny admission to any child for lack of age roof. If such admission is sought subsequent to the extended period specified for admission, the same shall not be denied and the child shall not be discriminated on the ground of religion, caste, race, place of birth or any them.
- 5. That the school/Institution shall ensure that:-
 - (i). No child admitted shall be held back in any class or expelled from school/Institution till the completion of elementary education in a school/Institution.
 - (ii). No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - (iii). No child is required to pass any board examination till the completion elementary education.
 - (iv). Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as down under rule 22.
 - (v). Inulusion of students with disabilities/special needs as per provision of the act.
 - (vi). The teachers are recruited with minimum qualification as laid under section 23 of the Act. Provided further that the current teachers who, at the corrimencement of this do not posses minimum qualifications shall acquire such minimum qualification with period of 5 years.
 - (vii). The teacher performs its duties specified under 24(1) of the Act, and
 - (viii). The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.
- 6. That the school/Institutition shall follow the syllabus on the basis of curriculam laid down.

- (i). Area of school campus total built up area.
- (ii). Area of play ground.

ן יו

- (iii). Number of Class rooms.
- (iv). Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom.
- (v). Separate toilet for boys and girls.
- (vi). Drinking water facility.
- (vii). Kitchen for cooking mid-day meal.
- (viii). Barrier free access
- (ix). Availability of teaching learnining material/Play Sports.
- (x). Equipment/Library.

9. That no unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school/Institution.

10. That the school building or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development.

11. That the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860(21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force.

12. That the school should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules A copy of the statements of accounts should be sent to the District Elementary Education Officers every year.

13. That the recognition code Number allotted to your school is This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

14. That the school funishes such reports an information as may be required by the Secretary Board of School Education Haryana, Bhiwani from time to time and complies with such instructions of the State Government/Local Authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition or recognition or the deficiencies in working of the school/Institution.

15. That the Renewal of Registration of Society, If any be ensured.

Deponent

Place:	
Date:-	
VERIFICATIO	N